पत्रांक :- 487 /सा0

दिनांकः- 17/2/21

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

बन्दोबस्ती आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, मुंगेर के सैरात कम्पनी बाग फल डाक का बन्दोबस्ती दिनांक 18/03/2021 से 31/08/2022 तक के लिए खुली डाक द्वारा सैरात के सामने अंकित तिथि (क) दिनांक– 15.03.2021 को अपराहन 12:30 बजे नगर निगम कार्यालय, मुंगेर के सभा भवन में खुली डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जाएगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने पर सामने अंकित अनुवर्त्ती तिथि क्रमशः (ख) एवं (ग) को पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर निम्नलिखित शर्त्तो के साथ दो वर्षो के लिए डाक बन्दोबस्ती की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर सार्वजनिक डाक में भाग ले सकते हैं।

क्रमांक	परिसम्पति का विवरणी	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	कम्पनी बाग फल डाक का बन्दोबस्ती	3,51,000/–रू0	1,40,400/–रू0	(क)दिनांक– 15/03/2021 को अपराहन 12:30 बजे से अनुवर्त्ती तिथि – (ख)दिनांक– 16/03/2021 को अपराहन 12.30 बजे (ग) दिनांक– 17/03/2021 को अपराहन 12.30 बजे

आवश्यक शर्त्ते :–

1. डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति को डाक बोलने के पूर्व अपना आवासीय पता प्रखंड पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।
2. डाक में भाग लेने के पूर्व डाक वक्ता को सुरक्षित जमा राशि 3,51,000/– रूपये का 40: भाग मो0 1,40,400/– रूपये जमानत की राशि नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा, यह राशि केवल उच्चतम डाकवक्ता को छोड़कर अन्य डाक वक्ता को डाक समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी।
3. उच्चतम डाक वक्ता को बन्दोबस्ती दी जाएगी तथा डाक समाप्ति के तुरंत बाद डाक की सम्पूर्ण राशि में से जमानत की राशि का समायोजन करने के बाद बचे शेष डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
4. बाग के बीचों–बीच गुजरने वाले नाले के रख–रखाव एवं साफ–सफाई की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
5. सभी तरह के विवादों का निपटारा नगर आयुक्त स्तर से ही मान्य होगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।
6. बाग के अन्तर्गत जंगली घास, झाड़ आदि की चिनाई, साफ–सफाई एवं लगाये गये वृक्ष एवं पीलर–तार की सुरक्षा एवं रख–रखाव, वार्शिक रंग–रोगन (वृक्ष सहित) आदि रख–रखाव की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की अनिवार्य होगी। इसमें विफल होने पर उसी समय बिना शर्त्त बन्दोबस्ती रद्द कर दी जाएगी, तथा जमा की गई राशि जप्त कर ली जाएगी।
7. इण्डियन स्टाम्प एक्ट के सिडूल–1। के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा। साथ ही स्वीकृत राशि का 02 प्रतिशत की राशि आयकर विभाग को स्वीकृत बन्दोबस्तदार को जमा करना अनिवार्य होगा।
8. बन्दोबस्तधारी को अद्यतन श्रमकानूनों का अनुपालन करना होगा एवं जी0एस0टी0, आयकर सहित अन्य सभी अद्यतन सरकारी कानूनों का भी अनुपालन करना होगा।
9. बिना कारण बताये डाक को स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

17/2/21

नगर आयुक्त
नगर निगम, मुंगेर